

उत्तर प्रदेश शासन  
उपभोक्ता मामले अनुभाग-2  
संख्या-18/84-2-2025-163983  
लखनऊ::दिनांक 10-01-2025

शुद्धि-पत्र

विज्ञप्ति संख्या-906/84-2-2024-सी0पी014/88टी0सी0-163983 दिनांक 27.12.2024 द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र० लखनऊ में रिक्त 01 गैर न्यायिक सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन एवं विज्ञप्ति संख्या 907/84-2-2024-सी0पी014/88 टी0सी0-163983 दिनांक 27.12.2024 द्वारा प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में रिक्त व जून, 2025 तक रिक्त होने वाले अध्यक्ष, महिला सदस्य एवं सामान्य सदस्य के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निर्गत किया गया है। उक्त विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में टंकण त्रुटिवश क्रमशः विज्ञापन संख्या 906/84-2-2020-सीपी14/88टीसी दिनांक 27.12.2024 एवं 907/84-2-2020-सीपी 14/88 टीसी-163983 दिनांक 27.12.2024 अंकित हो गया है।

अतः उक्त आवेदन पत्रों के प्रारूप में अंकित विज्ञापन संख्या 906/84-2-2020-सीपी14/88टीसी दिनांक 27.12.2024 एवं 907/84-2-2020-सीपी 14/88 टीसी-163983 दिनांक 27.12.2024 के स्थान पर क्रमशः विज्ञापन संख्या 906/84-2-2024-सीपी0 14/88 टी0सी0 163983 दिनांक 27.12.2024 एवं 907/84-2-2024-सीपी014/88 टी0सी0 163983 दिनांक 27.12.2024 पढ़ा जाए।

2. उक्त विज्ञापनों में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

Signed by

Atal Singh Rajpoot

Date: 10-01-2025 18:30:08

(अतल सिंह)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त शुद्धि-पत्र को हिंदी एवं अंग्रेजी के सर्वाधिक प्रसार वाले 02 प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,

अतल सिंह

उप सचिव।